न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :— 47 / 2019 (2019 / 00135)

प्रार्थी

बींजाराम पुत्र श्री भोमाराम जी जाति लोहार निवासी गांव कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. श्रीमती गटुकंवर पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निपवासी कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 खसरा संख्या 603 ग्राम कांकाणी आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 05.02.2002 को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री एल0 एन0 बिस्सा (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह व करणसिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 02)।

आदेश दिनांक :—27.01.2023

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पटटा संख्या 2 खसरा संख्या 603 ग्राम कांकाणी आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 05.02.2002 को ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किया गया को, निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वहां पर 60 वर्षो से कब्जा निगरानीकर्ता का चला आ रहा है जिसके बाबत कोई जांच नहीं की गई, पट्टा विधि विरुद्ध जारी किया गया है एवं मौके की स्थिति नहीं देखी गई। जैर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से दुरभि संधि करके प्राप्त किया गया है एवं 1996 के नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसी भूमि के बाबत [illegible] में सन् 1960 में निगरानीकर्ता के पिता भोजाराम लोहार [illegible] कर्ता द्वारा जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

गया एवं भोमाराम के प्लॉट के सम्बन्ध में पड़ौस में स्थित बींजाराम पुत्र हरजीराम मेघवाल के पट्टे में पड़ौस दिखाया गया है, अप्रार्थी संख्या 2 को जो पटटा जारी किया गया है उसके पश्चिम और उत्तर में भी बींजाराम मेघवाल का पड़ौस अंकित है। इस प्रकार से पट्टे के ऊपर पटटा जारी किया जाना बताया है एवं पट्टे को निरस्त करने बाबत प्रार्थना की।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत शिकारपुरा से रिकॉर्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी पचांयत समिति लूणी ने पत्र क्रमांक 1177 दिनांक 8.9.2022 के माध्यम से बतलाया कि न्यायालय में विचाराधीन पंचायत निगरानी संख्या 47/2019 बअनवान बींजाराम बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुरा वगैरा में ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 05.02.2002 गटु कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह को जारी किया गया का मूल पट्टा रजिस्टर, मूल मिसल पत्रावली, बैठक कार्यवाही रजिस्टर चाहा गया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड पूर्व ग्राम विकास अधिकारी महेन्द्र सिंह द्वारा मुझे चार्ज में नहीं दिया गया। महेन्द्रसिंह पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त पट्टा मेरे से पूर्व ग्राम सेवक के कार्यकाल में जारी किया गया है जो मुझे चार्ज में नहीं दिया गया, जिस कारण चाहा गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है। उभयपक्षकारान् की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी दिनांक 18.01.2023 को सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर बतलाया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या 02 शिकारपुरा के निवासी है। प्रार्थी के पिता भोमाराम लोहार का ग्राम पंचायत शिकारपुरा के खसरा नं0 603 ग्राम कांकाणी आबादी भूमि पर वर्ष 1960 से पूर्व का उक्त जमीन पर कब्जा था। निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर अप्रेल 2019 में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उक्त निगरानी न्यायालय में पेश की है। ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने जिस जगह का पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी किया गया, उस जगह पर निगरानीकर्ता का पिछले 60 वर्षों से कब्जा है। ग्राम पचांयत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जे संबंधी किसी भी प्रकार की जांच नहीं कि गई, अगर जांच की जाती तो आवश्यक रूप से निगरानीधीन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी उक्त प्लॉट पर आवंटन की दिनांक से आज दिन तक काबिज होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने बिना मौका रिपोर्ट व दस्तावेज देखे निगरानीकर्ता के प्लॉट का फर्जी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी दिया। अप्रार्थी संख्या 02 व तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत शिकारपुरा आपस में रिश्तेदार होने से अप्रार्थी संख्या 02 ने निगरानीकर्ता के पिता के प्लॉट का फर्जी पट्टा जारी करवा लिया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में उक्त प्लॉट के पट्टे का विक्रय विलेख अंकित कर सरासर गलत व मिथ्या तथ्य पेश किये गये, जबकि उक्त प्लॉट का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.02.2002 को जारी किया गया था, जिसे अप्रार्थी ने जानबूझकर समय पर पंजीयन नहीं करवाकर उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 06.05.2008 को नवीनीकरण दर्शाया गया है लेकिन 2008 में भी उक्त पट्टे का पंजीयन नहीं करवाकर पुनः ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 21.9.2013 को पुनः नवीनीकरण करना दर्शाया गया है, तत्पश्चात् भी उक्त पट्टे का पंजीयन 90 दिनों की म्याद बाद करवाया गया व उक्त पट्टे के पंजीयन के समय उप पंजीयक कार्यालय लूणी में वक्त पंजीयन लीज डीड ही पंजीयन करना दर्शाया गया है न कि विक्रय विलेख पंजीयन किया गया है। ग्राम पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उक्त प्लॉट का फर्जी पट्टा जारी कर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड से खुर्द बुर्द कर दिया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में यह भी बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब के पैरा संख्या 8 में उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीया ने निगरानी दर्ज होने एवं सुनवाई के समय एक रिट याचिका पेश की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अप्रार्थीया को आदेश दिया कि वह निगरानी न्यायालय के समक्ष आक्षेप पेश करे जिस पर निगरानी न्यायालय विधि अनुसार सुनवाई कर आदेश पारित करें। इससे स्पष्ट है कि उक्त निगरानी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार निगरानी न्यायालय को है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के अन्त में बतलाया कि निगरानीकर्ता के पिता स्व0 भोमाराम लोहार के हक में ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा खसरा नं0 603 कांकाणी की आबादी भूमि में [illegible] जारी किया गया है जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकर्ता व उसका परिवार काबिज है। निगरानीकर्ता ही उक्त प्लॉट का एकमात्र मालिक होने से निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर बतलाया कि जैर निगरानी पटटा संख्या 02 जरिये मिसल संख्या 2 दिनांक 5.9.2001 को दर्ज किया जाकर दिनांक 5.2.2002 को जारी किया गया। उक्त पट्टा अप्रार्थी की पैतृक भूमि के निवास बाबत है। पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् दिनांक 6.5.2008 को प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा सर्वसम्मति से नवीनीकरण किया गया तत्पश्चात् बैठक दिनांक 21.9.2013 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा पुनः नवीनीकरण किया गया। नवीनीकरण के पश्चात् जैर निगरानी पटटा दिनांक 19.12.2013 को उप पंजीयक लूणी के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया। अप्रार्थी ने बतलाया कि वर्ष 2014 से पट्टे में वर्णित जायदाद के कुछ भाग के सम्बन्ध में यू0 को0 बैंक के साथ लीज निष्पादित की गई है जो लीज रजिस्टर्ड है एवं मौके पर सम्पूर्ण परिसर में अप्रार्थी का पैतृक मकान निर्मित है जिस पर बिजली एवं पानी के कनेक्शन अप्रार्थीया गटूकंवर के नाम दर्ज है। अप्रार्थी ने जो निर्माण कार्य करवाया जो विधिवत पंचायत से अनुमति लेकर करवाया है। प्रार्थी ने अपने पिता के नाम जो पट्टा जारी होने बाबत कथन किया है वो गलत है। वादग्रस्त जायदाद एवं अप्रार्थी ने जो पड़ौस बताये है वो आपस में मेल नहीं खाते है तथा अलग अलग जगह के सम्बन्ध में है। पट्टा जारी करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा फॉर्म नं0 3 के साथ में रजिस्टर्ड पटटा संख्या 2, रजिस्टर्ड लीज डीड दिनांक 17–10–2015, बिजली के बिल, भवन निर्माण अनुमति द्वारा ग्राम पंचायत दिनांक 5.1.2016, पट्टा रसीद एवं जायदाद पर निर्मित अप्रार्थी के मकान व दुकान जो यू0को0 बैंक को लीज पर दी गई है के फोटोग्राफ पेश किये।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में रिकॉर्ड भेजने में पंचायत समिति द्वारा असमर्थता जताई गई है इसलिये पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दुस्तावेजों के आधार पर पत्रावली का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस न्याया[illegible] के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 के [illegible] 2 बाबत आबादी भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 603 ग्राम कांकाणी दिनांक 05.02.2002 विधि विरुद्ध है अथवा नहीं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा सन् 2002 में जारी किया गया एवं तत्पश्चात् प्रस्ताव दिनांक 6.5.2008 एवं 21.09.2013 द्वारा सर्वसम्मति से नवीनीकरण किया गया, जो प्रस्ताव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति की पुश्त पर दर्ज है। तत्पश्चात् उक्त पट्टा उपपंजीयक कार्यालय में दिनांक 19–12–2013 को रजिस्टर्ड किया गया, पट्टे के आधार पर यू0 को0 बैंक द्वारा लीज डीड दिनांक 17.10.2015 को 10 साल के लिये निष्पादित की गई एवं यू0 को0 बैंक की शाखा परिसर में संचालित हो रही है जो निर्मित क्षेत्र है वो सभी अप्रार्थी का पैतृक निवास होना बताया है एवं जिसके सम्बन्ध में बिजली–पानी के कनेक्शन अप्रार्थी के नाम है। अप्रार्थी द्वारा भवन निर्माण अनुमति दिनांक 05.01.2016 की रसीद संख्या 6 ग्राम पंचायत कांकाणी द्वारा जारीसुदा प्रस्तुत की है जिसके तहत अप्रार्थी द्वारा परिसर में रिनोवेशन व नये ठांव निर्मित करने का कथन किया गया। पट्टा जारी करने की भूमि खसरा संख्या 603 के बाबत कोई विवाद नहीं है एवं उक्त भूमि आबादी भूमि होकर ग्राम पंचायत कांकाणी में स्थित है। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष पंचायत का रिकार्ड एवं उसके द्वारा अमल में लाई गई मिसल नहीं है इसलिये प्रक्रिया बाबत किसी प्रकार का निष्कर्ष मिसल के अभाव में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। चूंकि पट्टा रजिस्टर्ड है एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रजिस्टर्ड पट्टे को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने बाबत न्यायिक दृष्टांत ए आई आर 2016 सुप्रीम कोर्ट 4995 सत्यपाल बनाम राज्य, 2011 (4) सीसीसी 86 सुप्रिम कोर्ट, कुसुमलता बनाम उतर प्रदेश राज्य, 2013 (4) आर एल डब्ल्यु 3341 नगरपरिषद पाली बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि पेश किये जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधानिकता सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव अथवा निर्णय को चुनौती नहीं दी है, बल्कि सीधे ही पट्टा संख्या 2 को चुनौती दी है। इस न्यायालय के विचारणीय मत के अनुसार जब धारा 97 के तहत पंचायती राज संस्था के किसी प्रस्ताव व निर्णय को चुनौती नहीं दी गई हो एवं केवल पट्टा जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, को निरस्त करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में धारा 97 की पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को पट्टे [illegible]निकता बाबत सिविल न्यायालय में नियमित वाद द्वारा ही [illegible]स्तगत पट्टा ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा दिनांक 06.05.2008 एवं दिनांक 21.09.2013 को अलग–अलग प्रस्ताव संख्या 3 एवं 1 द्वारा नवीनीकरण किया गया है एवं उक्त प्रस्ताव की वैधानिकता को निगरानीकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा भूमि की स्थिति एवं पड़ौस के सम्बन्ध में वर्णित कथनों से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बताये गये पड़ौस एवं जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस की भूमि अलग–अलग है तथापि यह एक तथ्यात्मक विषय होने के कारण बाद साक्ष्य ही तय हो सकता है एवं निगरानी न्यायालय को नियमित वाद की तरह साक्ष्य संकलित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 के तहत किसी पंचायती राज संस्था द्वारा पारित निर्णय की वैधानिकता की जांच की जा सकती है परन्तु हस्तगत निगरानी में पंचायती राज संस्था के किसी निर्णय यथा संकल्प, प्रस्ताव व नियमन के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2014 से रजिस्टर्ड है एवं मौके पर सम्पूर्ण तामीरात पंचायत की अनुमति से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बनाई गई है। ऐसी स्थिति में निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा वैधानिक टाईटल को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिये निगरानीकर्ता के पास समुचित उपचार एवं विकल्प है कि वह सिविल न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत करके ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत शिकारपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested